दिनांक – 31.10.2022

निर्णय

वकील प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय को पेश किया कि प्राथीगण आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.2655 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.0126 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 12 रकबा 0.2150 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 9 रकबा 0.6449 हैक्टयर बांके ग्राम डण्डोली व हिस्सा बराबर काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बरान की आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हेतु पुख्ता बाउण्ड्री निर्मित कर रखी है। उक्त खसरा नम्बरान का नक्शा किश्तवार मौके के मुताविक सही है तथा मुताविक नक्शा किश्तबार ही काबिज है। लेकिन नक्शा बंदोवस्ती में सहवन से कम क्षेत्रफल है। अतः वर्तमान नक्शें में मुताबिक नक्शा किश्तवार दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मंनिया से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मंनिया ने उनके पत्र कमांक कोर्ट/2022/485 दिनांक 19.10.2022 से रिपोर्ट पेश की। इसमें उनके द्वारा अवगत कराया कि खसरा नम्बर 9, 10, 12 बांके ग्राम डण्डौली मुताबिक राजस्व नक्शा(कपडा) से रकबा कम बैठता है मुताबिक नक्शा किश्तबार (तरमीम) के उक्त नम्बरान का रकबा पूर्ण बैठता है मौके पर उक्त नम्बरान की जांच व नाप दोनों नक्शों से करने पर नक्शा किश्तवार सही बताया है। जिस पर प्रार्थी को काबिज बताया है।

बकील प्राथीगण को सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

Scanned with AnyScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 9, 10, 12 वांके ग्राम डण्डौली की राजस्व नक्शे में मुताबिक नक्शा किश्तवार दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। परवाना तहसीलदार मनियां को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned with AnyScanner